पत्र संख्या–वन भूमि–09/2017 ...2256.../व०प०

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची

राँची, दिनांक ...29/05/17...

विषयः– चतरा के मौजा–डाढ़ा में 132/33 के0 भी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–271 दिनांक 07.04.2017 एवं पत्रांक–289 दिनांक 18.04.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये चतरा के मौजा–डाढ़ा में 132/33 के0 भी0 ग्रिड सब–स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की सम्यक समीक्षोपरांत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या– 11–09/98–FC दिनांक 13.05.2011 तथा दिनांक 25.02.2016 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार के निर्णयानुसार सैद्धांतिक सहमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती हैः–

(क) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या–WP(C) 202/1995 में दिनांक–28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 4.04 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।

(ग) यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।

(घ) प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।

(ङ) प्रस्तावित वनभूमि में ग्रिड सबस्टेशन निर्माण के क्रम में कम–से–कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 141 वृक्षों से अधिक का पातन नही किया जायेगा। यदि वृक्षों का पातन आवश्यक हुआ तो वृक्षों का पातन वन प्रमण्डल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किया जायेगा।

(च) ग्रिड सबस्टेशन निर्माण के उपरांत, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(छ) भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(ज) वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।

(झ) यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार एवं वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।

OK

(ञ) परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।

(ट) अपयोजित होने वाली वन भूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यों के लिए नही किया जायेगा।

(ठ) उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं के स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका–1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

सैद्धांतिक सहमति की शर्तों का अनुपालन होने के उपरांत अंतिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

विश्वासभाजन

24/5/17

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– वन भूमि–09/2017 2256/व०प०, राँची, दिनांक 29/05/17

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, अलीगंज रोड, नई दिल्ली–110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला न0–A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची को प्रस्ताव की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनु०–यथोक्त।

24/5/17

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– वन भूमि–09/2017 2256/व०प०, राँची, दिनांक 29/05/17

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि0, इंजिनियरिंग बिल्डिंग, एच0ई0सी0 धुर्वा, राँची/विद्युत कार्यपालक अभियंता, ट्रांसमिशन डिवीजन, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लि0, श्रृंगाड़ी कॉम्पलेक्स, मोनट फोर्ट स्कूल के समीप, कनेरी हिल रोड, हजारीबाग (झारखण्ड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/5/17

सरकार के उप सचिव।